(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (13)

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण कमांक निग0 253–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–11–12 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील जावद जिला नीमच प्रकरण कमांक 01/अ–13/2010–11.

———

1– कन्हैयालाल पिता ओंकारलाल धाकड़
2– शोकीनलाल पिता कन्हैयालाल धाकड़
निवासीगण तह. जावद जिला नीमच ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– गोपाल उर्फ गोपालसिंह पिता हरनारायण अहीर,
निवासी जावद
2– देवीलाल पिता हरनारायण नि. जावद
2– राजू पिता हरनारायण अहीर नि. जावद
4– कमलाबाई बेवा हरनारायण अहीर
निवासी जावद
5– शिवलाल पिता मांगीलाल धाकड़
निवासी सेंगवा
6– शांतिलाल पिता मांगीलाल धाकड़ निवासी सेंगवा
7– भगवानलाल पिता शंकरलाल धाकड़ निवासी सेंगवा
8– सुखलाल पिता पृथ्वीराज धाकड़
निवासी सेंगवा ——— अनावेदकगण

———

श्री संदीप मेहता, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री दिनेश व्यास, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/9/15 को पारित)

.....

यह निगरानी तहसीलदार, तहसील जावद जिला नीमच के प्रकरण कमांक 01/अ–13/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 26–11–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत

आवेदन पत्र पर ग्राम सेगवा की भूमि सर्वे नं. 187 की पूर्वी पश्चिम मेड पर पत्थर की दिवार एवं उत्तर दक्षिण में जो सर्वे कमांक 224 से लगी हुई है पर पत्थर के खम्भे एवं तार फेंसींग आवेदकों द्वारा कर रखी है को मौके से हटाने एवं अनावेदकों रास्ता खुला करने हेतु राजस्व निरीक्षक को प्रकरण के निराकरण तक रास्ता खोलने के आदेश दिए हैं ।

2– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हें कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है । अनावेदकों का रास्ता शासकीय भूमि सर्वे नं. 143, 157, 169, 179, 190 व 178 पर सवे रहा है । उस रास्ते व शासकीय भूमि. पर अतिक्रमण अनावेदकों द्वारा कर रहा है । इस वजह से आवेदकगण की भूमि पर नया रास्ता कायम करने का आवेदन दिया गया है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्थल निरीक्षण नहीं किया है केवल मौके का पंचनामा बनाया है, उक्त पंचनामा आवेदकों की उपसिथति में नहीं बनाया गया है और ना ही उसपर आवेदक के हस्ताक्षर हैं जबकि संहिता की धारा 131 में यह प्रावधान है कि स्थल निरीक्षण व पंचनामा दोनो पक्षों की उपस्थिति में बनाया जाना चाहिए ।

यह तर्क भी दिया गया कि स्थल पंचनामा साक्ष्य नहीं है, स्थल निरीक्षण टीप आवश्यक है । अनावेदकों के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दियां गया कि आवेदको ने जानबूझकर उनका रास्ता रोकने की नियत से कच्चे पत्थर की कोट बनाकर रास्ता रोक दिया था इस कारण उन्होंने रास्ता खुलवाये जाने का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में दिया । तहसीलदार ने प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख कर तथा स्थल निरीक्षण के प्रतिवेदन के आधार पर रास्ता खोलने का आदेश दिया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जाहं आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तकों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया । यह

निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । रास्ते के विवाद में अंतरिम आदेश तहसीलदार द्वारा प्रभावित पक्ष को अन्य वैकल्पिक मार्ग के न होने पर तात्कालिक सहायता के रूप में रास्ता उपलब्ध कराने हेतु दिया जाता है । न्यायदृष्टांत 2002 आर.एन. 113 में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकार की खड़ी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना की स्थित में प्रकरण के अंतिम निपटारा तक अनुकल्पी रास्ते के प्रयोग हेतु अंतरिम आदेश दिया जाना चाहिए । इस प्रकरण में भी यही स्थिति पाई गई ।

अंतरिम आदेश पारित करने के पूर्व इस प्रकरण में तहसीलदार ने उभयपक्ष की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम व्यवस्था के आदेश दिए है । अभिलेख के आधार पर आवेदक का यह तर्क सही नहीं है कि तहसीलदार ने स्थल निरीक्षण नहीं किया । दिनांक 16–11–10 को तहसीलदार ने स्थल निरीक्षण किया जिस दौरान आवेदक क्र. 2 उपस्थित भी रहे हैं । अंतरिम व्यवस्था केवल तात्कालिक राहत हेतु होती है । इस stage पर विस्तृत evidence लेना एवं उसका विश्लेषण आवश्यक नहीं होता है । आवेदक के निगरानी में जो भी बिंदु उठाये गये हैं उनका विश्लेषण आवश्यक नहीं होता है । प्रकरण में अंतिम आदेश अभी होना है जहां आवेदक अपना पक्ष/साक्ष्य/तथ्य प्रस्तुत कर सकता है । इस stage पर इस निगरानी को स्वीकार कर तहसीलदार के अंतरिम आदेश को निरस्त करने के पर्याप्त कारण तथा औचित्य नहीं हैं । अतः यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर